

## अध्याय VIII: खनन मंत्रालय

### हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

#### 8.1 गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट के अधिग्रहण में अप्रभावी निवेश व संचालन में हानि

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) ने कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना गुजरात कॉपर परियोजना (जीसीपी) (पहले झगड़िया कॉपर लिमिटेड, गुजरात) का अधिग्रहण किया और जो संयंत्र शुरू करने के बाद से ही लगभग पूरी तरह से अनुपयोगी बना रहा जिससे ₹303.18 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ और जीसीपी के परिचालन से ₹102.49 करोड़ की राशि की हानि हुई।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) तांबे के अयस्क के खनन और अंतिम उत्पाद अर्थात् कॉपर कैथोड के उत्पादन के लिए इसको प्रसंस्करण में लगी हुई थी। तांबा अयस्क को मुख्य रूप से सांद्रक में धातु (एमआईसी) के उत्पादन के लिए सांद्रक संयंत्र में संसाधित किया जाता है जिसे आगे कॉपर एनोड के उत्पादन के लिए प्रगालक में संसाधित किया जाता है और अंततः कॉपर कैथोड के उत्पादन के लिए रिफाइनरी प्लांट में परिशोधित किया जाता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई (एआरसीआईएल) ने कंपनी से संपर्क (अगस्त 2014) किया कि कंपनी झगड़िया कॉपर लिमिटेड, गुजरात (जेसीएल) के संयंत्र के अधिग्रहण में अपनी इच्छा दिखाएं। जेसीएल के पास कॉपर कैथोड्स की 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए एक सहायक कॉपर प्रगालक एंड रिफाइनरी (द्वितीयक स्क्रेप तांबे के प्रसंस्करण को दर्शाता है) थी और मई 2006 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। तथापि जेसीएल के परिचालनों को कार्यशील पूंजी के अभाव में सितंबर 2009 से रोक दिया गया था।

प्रस्तावित अधिग्रहण में निवेश के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त (अक्टूबर 2014) सलाहकार ने संकेत दिया कि जेसीएल के सहायक प्रगालक संयंत्र में केवल तांबे के स्क्रेप को संसाधित करने की सुविधा थी और उसमें एमआईसी प्रसंस्करण के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। यह भी संकेत दिया गया कि रिफाइनरी संयंत्र को कहीं से भी सोर्सिंग की गयी कॉपर एनोड से भी संचालित किया जा सकता है। हालांकि सलाहकार ने जोर देकर कहा कि जेसीएल के इष्टतम उपयोग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और सोर्सिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि यह इस तरह के अधिग्रहण की सफलता के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एक बड़ा जोखिम था। कंपनी ने आखिरकार जेसीएल के अधिग्रहण के लिए निर्णय लिया (नवंबर 2014)। कंपनी ने खुले बाजार (19,200 एमएटीपी) से कॉपर स्क्रेप खरीद कर और अपनी अन्य इकाइयों

(800 एमटीपी) में उत्पन्न कॉपर स्क्रेप के स्रोत के लिए प्रस्ताव रखा। कंपनी ने हिंडाल्को<sup>1</sup> के माध्यम से आयातित एमआईसी (20,000 से 30,000 एमटीपीए) के साथ-साथ अन्य कॉपर उत्पादकों (7,000 एमटीपीए) के माध्यम से अपने स्वयं के एमआईसी के टोलिंग<sup>2</sup> के द्वारा कॉपर एनोड के स्रोत का भी अनुमान लगाया। कंपनी ने आगे आकलन किया कि यह जेसीएल संयंत्र में स्थित स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) गोदाम में पड़े 22,000 मीट्रिक टन कॉपर स्क्रेप का उपयोग कर सकती है।

कंपनी ने एकल बोलीदाता के रूप में ₹200 करोड़ का अवधिक ऋण लेकर एआरसीआईएल से ₹210 करोड़ (पट्टा अवधि भूमि सहित संयंत्र एवं मशीनरी) की कीमत पर जेसीएल प्लांट का अधिग्रहण किया था (फरवरी 2015)। जेसीएल का नाम बदलकर गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट (जीसीपी) कर दिया गया था और अक्टूबर 2016 से इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया था। हालाँकि, यह देखा गया था कि जीसीपी की क्षमता का उपयोग इसके अधिग्रहण के बाद से बहुत कम था और इसमें नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान केवल 24,007 मीट्रिक टन कॉपर केथोड का उत्पादन हो सका था जो संयंत्र की कुल क्षमता का केवल 20 प्रतिशत था। जीसीपी की इतनी कम क्षमता का उपयोग मुख्य रूप से कच्चे माल यानी तांबे के स्क्रेप के साथ-साथ एनोड की अनुपलब्धता के कारण था। इस बीच, कंपनी ने मार्च 2019 तक जीसीपी (अधिग्रहण लागत सहित) में कुल ₹303.18 करोड़ का निवेश किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:-

- 19200 एमटीपीए की सीमा तक बाजार से तांबा स्क्रेप की उपलब्धता के संबंध में कंपनी का अनुमान बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था, क्योंकि कंपनी नवंबर 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान बाजार से किसी भी तांबा स्क्रेप का स्रोत नहीं बना पाई थी। प्रबंधन ने यह भी महसूस किया कि असंगठित बाजार के कारण तांबे के स्क्रेप की स्वदेशी सोर्सिंग मुश्किल थी और जिसमें गुणवत्ता की समस्या भी थे। इसके अलावा, प्रबंधन ने एसटीसी गोदाम में पड़े तांबे के स्क्रेप की स्थिति का ठीक से आकलन नहीं किया, क्योंकि यह विचाराधीन था और प्रसंस्करण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं था।
- कंपनी ने हिंडाल्को के माध्यम से आयातित एमआईसी को टोलिंग द्वारा एनोड (20,000 एमटीपीए से 30,000 एमटीपीए) के स्रोत का प्रस्ताव दिया। हालांकि, कंपनी ने एनोड की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की टोलिंग हेतु हिंडाल्को के साथ किसी प्रकार का अनुबंध नहीं किया। इसके अलावा,

<sup>1</sup> एक निजी क्षेत्र की तांबा उत्पादन कम्पनी

<sup>2</sup> एक संव्यवहार जिसके द्वारा एमआईसी तांबा उत्पादक द्वारा तांबा एनोड में बदली जाएगी

कंपनी को एमआईसी के आयात और किसी अन्य तांबा उत्पादक के माध्यम से उसकी टोलिंग के लिए कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि हिंडाल्को के पास इस तरह के टोलिंग के लिए कोई अतिरिक्त प्रणालन की क्षमता नहीं थी क्योंकि इसके प्रागलन और रिफाइनरी की क्षमता समान थी। यह इस तथ्य से भी जुड़ा हुआ है कि कंपनी टोलिंग द्वारा हिंडाल्को के माध्यम से किसी भी एनोड का स्रोत नहीं बना पाई थी।

इसलिए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी द्वारा जीसीपी के प्रागलन और रिफाइनरी संयंत्र के स्थायी संचालन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के प्रति किए गए अनुमान वास्तविक और उचित उद्यम द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, जीसीपी का उपयोग बहुत कम क्षमता के साथ किया गया था और इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर, कंपनी को जीसीपी के संचालन से लगातार हानि हो रही है। इस प्रकार, कच्चे माल की उपलब्धता के लिए अनुमानित स्रोतों से ठोस प्रतिबद्धताओं को प्राप्त किए बिना जीसीपी के अधिग्रहण के लिए कंपनी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था, जिसके कारण ₹303.18 करोड़ का निवेश निष्फल हुआ। इसके अलावा, कंपनी को नवंबर 2016 से मार्च 2019 की अवधि में जीसीपी के संचालन से ₹102.49 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2019) कि जीसीपी के स्थायी संचालन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पर अधिग्रहण के समय किए गए अनुमानों को गलत गणना की गई। यह भी बताया गया कि कंपनी ने एमआईसी को कभी भी एनोड हेतु टोलिंग के लिए आयात नहीं किया था और कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में जीसीपी ने कोई ठोस प्रतिबद्धता के बिना अधिग्रहण कर लिया था और आखिरकार, कंपनी कच्चे माल की सोर्सिंग में कठिनाई के कारण संयंत्र के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने में असमर्थ थी।

इसलिए, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जीसीपी के अधिग्रहण से ₹303.18 करोड़ का निवेश और जीसीपी के संचालन से ₹102.49 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा, कंपनी जीसीपी के उपयोग के लिए एक व्यवहार्य भविष्य की योजना विकसित करने तक इस तरह के नुकसान को उठाना जारी रखेगी।

पैरा मंत्रालय को अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।